मूल हिन्दी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 4108
12 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

fudklh iz.kkyh gsrq fufèk

4108- **Jh lquhy dqekj flag%**
D;k **vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ xr rhu o"kks± ds nkSjku ns'k ds 'kgjh {ks=ksa esa fudklh iz.kkyh dks lqpk: cukus ds fy, jkT; ljdkjksa dks iznÙk foÙkh; lgk;rk dk jkT;{ks=&okj C;kSjk D;k gS(vkSj

¼[k½ fcgkj esa ck<+ ls rckg 'kgjh {ks=ksa dh fudklh O;oLFkk dks lqpk: cukus ds fy, vkxkeh foÙk o"kZ esa fdruh fufèk iznku fd, tkus dh laHkkouk gS\

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख) : अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की शुरूआत 25 जून, 2015 को देश भर के 500 चयनित शहरों में 2015-2016 से 2019-2020 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी। अमृत केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है जिसका कुल केंद्रीय परिव्यय 50,000 करोड़ रू. का है और जिसमें मिशन शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, बरसाती जल निकासी, हरित स्थल एवं पार्कों एवं गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन जैसी बुनियादी शहरी अवसंरचना के विकास पर जोर दिया गया है।

अमृत के अंतर्गत, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी - अपनी परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, अनुमोदन व क्रियान्वयन किया जाता है। केंद्रीय सरकार केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदन प्रदान करती है एवं मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सहायता जारी करती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कुल अनुमोदित योजना आकार 77,640 करोड़ रू. है, जिसमें से 2,969 करोड़ रू. (4%) बरसाती जल निकासी परियोजनाओं हेतु आबंटित किया गया है।

बरसाती जल निकासी क्षेत्र में, अब तक 391 करोड़ रू. की लागत की 278 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, बरसाती जल निकासी क्षेत्र में 2,294 करोड़ रू. की 481 परियोजनाओं के लिए संविदा दे दी गई है और कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, 140 करोड़ रू. की लागत की परियोजनाओं के लिए निविदा दी जानी है।

अमृत के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां क्षेत्र-वार, शहर-वार अथवा परियोजनावार नहीं अपितु अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना हेतु जारी की जाती हैं। तदनुसार, मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अमृत के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना में अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अब तक 17,919 करोड़ रू. की राशि जारी की है।

बिहार राज्य के लिए अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना 2469.77 करोड़ रू. की है, जिसमें बिहार राज्य ने बरसाती जल निकासी के क्षेत्र में 237.99 करोड़ रू. की लागत की 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अमृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया हैः

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	2016-17	2-17-18	2018-19	कुल
अमृत परियोजनाओं के लिए जारी की गई केंद्रीय सहायता	77.52	89.02	136.98	303.52

क्षेत्र आधारित विकास परियोजनाओं के भाग के रूप में बरसाती जल निकासी प्रणाली के सुधार संबंधी परियोजनाओं के लिए भी इस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन जिसकी शुरूआत 25 जून, 2015 को 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने हेतु की गई थी, के अंतर्गत भी अनुमत्य है। अब तक, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य को केंद्रीय सहायता के 510 करोड़ रू. जारी कर दिए गए हैं।

*****